न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः—194/2019 प्रार्थना पत्र

1—श्री पीरू पिता गांगा बलाई, उम्र बालिग निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा
2—श्री गोपाल पिता गांगा बलाई, उम्र बालिग निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा
3—रामकन्या पुत्री गांगा बलाई, उम्र बालिग निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा
4—श्री छोटू पिता गांगा बलाई, उम्र बालिग निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा
5—सीमा पुत्री गांगा बलाई, उम्र बालिग निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा
6—सुगना पत्नि गांगा बलाई, उम्र बालिग निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा
7—श्री किशन पिता कजोड़ बलाई, उम्र बालिग निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाडा
8—श्री भैरू पिता कजोड़ बलाई, उम्र बालिग निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा
9—श्री नारायण लाल पिता श्री किशन बलाई, उम्र बालिग निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा

———प्रार्थीगण

बनाम

1—श्री डालू पिता रामा बलाई, उम्र बालिग निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा
2—श्री घीसू पिता रामा बलाई, उम्र बालिग निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा
3—श्री नंदा पिता रामा बलाई, उम्र बालिग निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा
4—श्री अमरचन्द्र पिता रामा बलाई, उम्र बालिग निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा
5—मांगीबाई पत्नि रामा बलाई, उम्र बालिग निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा
6—सुगना पुत्री रामा बलाई, उम्र बालिग निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा
7—उदी पुत्री रामा बलाई, उम्र बालिग निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः—30.10.2019

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम आटूण पटवार हल्का आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1542 रकबा 7 बिस्वा, 1555 रकबा 11 बिस्वा, 1556/1 रकबा 12 बिस्वा, 1557/2 रकबा 17 बिस्वा, 1557/3 रकबा 5 बिस्वा, 2108/2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 5.8.2019 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 5 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण संख्या 1 से 5 उपस्थित नहीं। विपक्षीगण संख्या 1 से 5 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने कें कारण दिनांक 30.10.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 6 व 7 के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं चाहने के कारण कार्यवाही दिनांक 30.10.2019 को ड्राप की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीक़ार किया जाकर कि ग्राम आटूण पटवार हल्का आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1542 रकबा 7 बिस्वा, 1555 रकबा 11 बिस्वा, 1556/1 रकबा 12 बिस्वा, 1557/2 रकबा 17 बिस्वा, 1557/3 रकबा 5 बिस्वा, 2108/2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, सुवाणा को 400/–(चार सौ रूपये) रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में ही पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा भीलवाड़ा भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा भीलवाड़ा भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner